न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS No : 2022/374
दायरा तिथि : 13.10.2022
फैसला तिथि : 17-01-2023
प्रार्थीगणः–
1. वरजु उर्फ रकमो धर्मपत्नी चुनाजी
2. भुताराम पुत्र चुनारामजी जाति मेणा निवासी सेवाडी तहसील बाली
बनाम
अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
उपस्थितिः–
1. श्री भरत जे. राठौड.................................. अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. श्री ललित कुमार .... नायब तहसीलदार पैरोकार सरकार की ओर से

–:: आदेश ::– दिनांक 17-01-2023

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सेवाडी तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 2918 रकबा 0.9800 हैक्टर में **दर्ज प्रार्थी संख्या 01 का नाम वरजू पत्नी चुनाराम एवं प्रार्थी संख्या 02 का नाम सरसों पुत्र चुनाराम को त्रुटिपूर्ण बताते हुये प्रार्थी संख्या 01 का सही नाम रकमो पत्नी चुनाराम एवं प्रार्थी संख्या 02 का सही नाम भूताराम पुत्र चुनाराम दुरस्ती** के माध्यम से शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत सेवाडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति, प्रार्थीया रकमो के बैंक डायरी की प्रति, मनरेगा में पंजीयन रिकॉर्ड पत्र की प्रति, परिवार राशनकार्ड की प्रति, पेंशन पीपीओ की प्रति, जनआधार कार्ड की प्रति, प्रार्थी संख्या 02 भूताराम के आधार कार्ड की प्रति, प्रार्थी संख्या 01 रकमो के आधार कार्ड की प्रति पेश की गई तथा इसके साथ ही प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में न्यायालय द्वारा पारित राजस्व विविध जीसीएमएस प्रकरण संख्या 2022/32 बअनवान वरजु वगैरा बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 29.03.2022 को पारित आदेश की प्रति पेश की गई। इन प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में न्यायालय में नाम दुरस्ती का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें उक्त खसरा नंबर 2918 संवहन से अंकन नहीं किया गया जिससे न्यायालय द्वारा भी राजस्व विविध जीसीएमएस प्रकरण संख्या 2022/32 बअनवान वरजु वगैरा बनाम राजस्थान सरकार में खसरा नंबर 2901 व 2919 में दर्ज प्रार्थीगण के त्रुटिपूर्ण नामों को ही शुद्धि किये जाने के आदेश पारित किये गये। जिससे अवशेष रहे खसरा नंबर 2918 में दर्ज त्रुटिपूर्ण नामों को भी शुद्ध किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी ग्राम सेवाडी में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमियों खसरा नंबर 2901 व 2919 में दर्ज त्रुटिपूर्ण नामों को संशोधन के लिये आवेदन किया गया जिस आवेदन पत्र को बाद जांच न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2022 को स्वीकार किया जाकर ग्राम सेवाडी के खसरा नंबर 2901 व 2919 में दर्ज त्रुटिपूर्ण नामों को संशोधन के आदेश दिये जा चुके है एवं अब खसरा नंबर 2918 के लिये भी प्रार्थीगण द्वारा पुनः नाम संशोधन का आवेदन किया है। पूर्व पारित आदेश नाम संशोधन बाबत ही है, मात्र खसरा नंबर 2918 का जिक आवेदन में नहीं करने से उक्त खसरा नंबर बाबत नाम दुरस्ती के आदेश पारित नहीं हुये है, जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम सेवाडी तहसील बाली में प्रार्थीगण द्वारा धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 2918 रकबा 0.9800 हैक्टर में **दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रार्थी संख्या 01 का नाम वरजू पत्नी चुनाराम एवं प्रार्थी संख्या 02 का नाम सरसों पुत्र चुनाराम को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम प्रार्थी संख्या 01 का नाम रकमो पत्नी चुनाराम एवं प्रार्थी संख्या 02 का नाम भुताराम पुत्र चुनाराम शुद्ध** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सेवाडी को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला पाली (राज.)
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक 17-01-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner